

2021
418

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा



किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
जा.पत्र	340 2021	15-12-21	बया खेड़ा (200 रुके)			

अनवान

श्री रुपा सुमाकर बनाम श्री राजेंद्र सस
(प.ल.प. रायला)



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ~~के~~

महोदयजी निवेदन है कि राजम बँक लिमिटेड को राजपत्र प्रकाशन अनुसार ICECI लिमिटेड का दिनांक जमा है। अतः इस शुद्ध किया जाना उचित होगा।

[Handwritten signature]
उप. प्र. अ. अधिकारी
[Handwritten signature]
25/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

शुद्ध किया जाना उचित है।

25/10/21
तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला पी. तवाड़ा

आदेश

तहसीलदार को रिपोर्ट के अनुसार नाम शुद्ध किया जावे।

[Handwritten signature]
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प [redacted]

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी [redacted]
व भूअ.नि. [redacted] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] /नायब
तहसीलदार [redacted] की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] व
जिला [redacted] की जमाबन्दी संवत् 2078 में खाता संख्या 231 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	[redacted]	231	राज० बैंक लि० रक्ष	231

[redacted]
शिविर प्रभारी
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
प्रशासन लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 92
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 25/10/2021

1. तहसीलदार [redacted] को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री [redacted] को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[redacted]
शिविर प्रभारी
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
अभियान-2021